भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3652

दिनांक 21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एमबीबीएस डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात

†3652. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विशेषकर महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों सहित एमबीबीएस डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य सहित देश में एमबीबीएस डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात को सुधारने के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में एमबीबीएस और एमडी डॉक्टरों के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप शुरू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार की देश के जनजातीय क्षेत्रों में बाल कुपोषण और अल्पपोषण के मामलों की संख्या को कम करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश में 13,86,150 पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टर हैं। आयुष मंत्रालय ने सूचित किया है कि आयुष चिकित्सा पद्धति में 7,51,768 पंजीकृत चिकित्सक हैं। यह मानते हुए कि एलोपैथिक और आयुष दोनों चिकित्सा प्रणालियों में 80% पंजीकृत चिकित्सक उपलब्ध हैं, देश में चिकित्सक -जनसंख्या अनुपात 1:811 होना अनुमानित है।

सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि की है और इसके पश्चात एमबीबीएस सीटों में भी वृद्धि की है। वर्ष 2014 से पहले मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी, जो 101.5% बढ़कर वर्तमान में 780 हो गई है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014 से पहले एमबीबीएस सीटों की संख्या 51,348 थी, जो अब 130% बढ़कर 1,18,190 हो गई है और वर्ष 2014 से पहले पीजी सीटों की संख्या 31,185 थी, जो अब 138.3% बढ़कर 74,306 हो गई है।

देश में डॉक्टर/चिकित्सा पेशेवरों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों/कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- जिला/रेफरल अस्पताल को उन्नत करके नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना जिसके अंतर्गत 157 स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों में से 131 नए मेडिकल कॉलेज पहले से ही कार्यशील हैं, जिसमें महाराष्ट्र राज्य के 02 मेडिकल कॉलेज शामिल हैं।
- एमबीबीएस और पीजी सीटों को बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़/उन्नत करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना।
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत "सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन" के तहत कुल 75 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिनमें से 71 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
- नए एम्स की स्थापना के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 22 एम्स को अनुमोदित किया गया है। इनमें से 19 में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू हो चुके हैं।
- संकाय की कमी को पूरा करने के लिए संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए डीएनबी योग्यता को मान्यता दी गई है।
- मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों/डीन/प्रधानाचार्य/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/सेवा विस्तार/पुनर्नियुक्ति के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 70 वर्ष किया गया।

(ग): ग्रामीण आबादी को समान स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम (एफएपी) को शामिल किया गया है। एफएपी में मेडिकल कॉलेज गांवों को गोद लेते हैं और एमबीबीएस छात्र इन गांवों में परिवारों को गोद लेते हैं। यह अभिनव दृष्टिकोण युवा मेडिकल छात्रों को सीधे ग्रामीण परिवारों तक ले जाता है, जिससे उन्हें विविध सामाजिक-आर्थिक वातावरण में परिवारों द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। इसके अलावा, एनएमसी ने जिला रेजीडेंसी कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जिसके तहत मेडिकल कॉलेजों के दूसरे/तीसरे वर्ष के पीजी छात्रों को जिला/ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को बढ़ाने के लिए तीन महीने की अवधि के लिए जिला अस्पतालों में तैनात किया जाता है।

(घ): सरकार ने पोषण सामग्री और वितरण में सुधार के उद्देश्य से केंद्र प्रायोजित योजना मिशन पोषण 2.0 के माध्यम से कुपोषण को हल करने को प्राथमिकता दी है। यह मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के पोषण और

गंभीर और मध्यम कुपोषण के उपचार पर केंद्रित है। प्रमुख कार्यकलापों में सामुदायिक लामबंदी, जागरूकता समर्थन और पोषण माह और पोषण पखवाड़ा जैसे कार्यक्रम शामिल हैं, ताकि लोगों को पोषण के बारे में शिक्षित किया जा सके। पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और किशोरियों को आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पौष्टिक पोषण प्रदान करता है, जिसमें गुणवत्ता वाले प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जोर दिया जाता है। यह कार्यक्रम आहार विविधता में सुधार और एनीमिया से निपटने के लिए बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, कुपोषण को दूर करने और स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य और पोषण (आरएमएनसीएएच+एन) रणनीति को लागू करता है। प्रमुख पहलों में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र, एनीमिया से निपटने के लिए एनीमिया मुक्त भारत कार्यनीति, स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए माताओं का पूर्ण स्नेह (एमएएए) कार्यक्रम, स्तनपान कराने वाली माताओं का समर्थन करने के लिए स्तनपान प्रबंधन केंद्र और मिट्टी से फैलने वाले कृमि को कम करने के लिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं और पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं।

*****